

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

\*दिनांक- नवम्बर 13, 2020\*

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*199 वाहनों का चालान, 20 वाहनों से कुल 14000/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 42 व्यक्तियों से 4200/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1- छबी लाल प्रजापति पुत्र पतिराम नि0 चन्दनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-261/20 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्ता पूनम पत्नी श्रवण कुमार निवासी जंगल गुलहरिया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानिय पर **मु0अ0सं0 260/2020 धारा- धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1- नाथु पुत्र बोर्डई नि0 सलामतगढ थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-554/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। 2- विरेन्द्र पुत्र चन्डी निवासी बेलवा काजी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानिय पर **मु0अ0सं0 555/2020 धारा- धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त करव सोवल पुत्र श्रीराम निवासी वार्ड न0 12 धनश्याम नगर कस्बा सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-205/20, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त मुसहर पुत्र सुन्नर निवासी डोमाखास थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-435/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रमेश कसौधन पुत्र राजेन्द्र सा0 व थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 बोरी विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखा बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- 135/2020, धारा-5/9बी विस्फोटक अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल-19\*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 12/13-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 37 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***

